केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-26/2017(खंड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश 55
(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 09.08.19

विषय:- **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशन योजनाओं के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि रू. 20000.00/- लाख (दो सौ करोड) एवं राज्य स्कीम में रू. 17500.00/- लाख (एक सौ पचहत्तर करोड) यानी कुल रू. 37500.00/- लाख (रू. तीन सौ पचहत्तर करोड) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

आदेश - **स्वीकृत** ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक सं0- 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वितीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना हेतु कुल रू. 92235.00/- लाख (रू. नौ सौ बाइस करोड पैतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 18 दिनांक 08.04.2019 द्वारा दी गयी थी। पुन: वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 के आलोक में शेष 187265.00/- लाख (रू. अठारह सौ बहत्तर करोड पैसठ लाख) के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 48 दिनांक 07.08.2019 द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि रू. 20000.00/- लाख (दो सौ करोड) एवं राज्य स्कीम में रू. 17500.00/- लाख (एक सौ पचहत्तर करोड) अर्थात कुल **रू. 37500.00/- लाख (रू. तीन सौ पचहत्तर करोड) मात्र के अतिरिक्त व्यय** की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	PFMS Code	स्वीकृति की राशि		
				विषय शीर्ष	योजना उदव्यय	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का राज्य अंशदान						
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010301)	3163	0301.31.06	25400.00	14800.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890301)	3163	0301.31.06	6500.00	4900.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960303)	3163	0303.31.06	500.00	300.00
	योग:- 1 (रू0 दो सौ करोड़)					20000.00
राज्य स्कीम						
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020105)		0105.31.06	15000.00	6900.00
	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890102)		0102.31.06	3500.00	600.00
3	बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020104)		0104.31.06	20000.00	9400.00
	बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना -विशेष घटक	(51-2235607890103)		0103.31.06	5000.00	600.00
	योग:- 2 (रू0 एक सौ पचहत्तर करोड़)					17500.00
	कुल (योग 1+2) :- (रू0 तीन सौ पचहत्तर करोड़)					37500.00

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक *31.05.17*, पत्रांक *378*/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, पत्रांक 733/वि0 दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या ...25.../टि0 पर दिनांक ...08.08.19 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-26/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या ...25.../टि0 पर दिनांक ...9.08.19... को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक-3/यो0-26/2017(खंड) 55 दिनांक- 09.08.19

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3/यो0-26/2017(खंड) 55 दिनांक- 09.08.19

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)